

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप )अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 328 सन 2012

अनवान :-

1. जगतपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।।

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
2. सावित्री पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
3. मैना पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
4. कृष्णा पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
5. केसर पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
6. भरतसिंह पुत्र पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
7. महेन्द्रो देवी पुत्री रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
8. बिमला देवी पुत्री रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
9. मिन्दर पुत्री रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
10. ओमप्रकाश पुत्र रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
11. धर्मपाल पुत्र रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
12. बिमला पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
13. रामी पुत्री इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
14. केलाश पुत्र इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
15. सतपाल पुत्र इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
16. रामपाल पुत्र इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
17. गोमती पत्नी भादरसिंह पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
18. नाथी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी के दादा फुलाराम की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 66/66 की कुल 6.9170 हैक् में से 2305/3457 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 1.0490 हैक् में से 6388/8317 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का दादा फुलाराम उर्फ मनफुल का देहान्त हो चुका है जिसके तीन पुत्रीया एव दो पुत्र पाच वारिस हुए जो नाथी प्रतिवादी को छोडकर सभी फोत हो चुके है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो फुलाराम उर्फ मनफुल पुत्र सुखाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 का सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 का 1/5 हिस्सा भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जो फुला के दोहता/दोहती है एव प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 जो इन्द्राज के वारिसान तथा प्रतिवादी संख्या 18 नाथी जो फुला की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 के पक्ष में त्याग किया

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 को कई मर्त्या कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की फुला उर्फ मनफुल पुत्र सुखाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज फुला उर्फ मनफुल पुत्र सुखाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त है चुका है जिनके जाजय वारिसान उनके तीन पुत्रीया एव दो पुत्र थी जिनमें से नाथी को छोडकर सभी फोट हो चुके है जिसके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो फुला उर्फ मनफुल पुत्र सुखाराम के जाजय वारिसान है जो फुला उर्फ मनफुल पुत्र सुखाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एवं 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 19 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 66/66 की कुल 6.9170 हैक् में से 2305/3457 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 1.0490 हैक् में से 6388/8317 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का दादा फुलाराम उर्फ मनफुल का देहान्त हो चुका है जिसके तीन पुत्रीया एव दो पुत्र पाच वारिस हुए जो नाथी प्रतिवादी को छोडकर सभी फोट हो चुके है जिनके जाजय वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो फुलाराम उर्फ मनफुल पुत्र सुखाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जो फुला के दोहता/दोहती है एव प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 जो इन्द्राज के वारिसान तथा ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता  
नोटा

पेशेदार राज ने निवेदन किया की वादी ने सामग्री/सिमेंट/सिमेंट का नाम देकर  
किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजगणों की सुरक्षा रखने की नाम का  
निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना मन्मथजी का अमलीकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार  
रोही मौजा चक 4 बाराणी के खाता संख्या 66/66 की कुल 69170 हैव में से 2305/3457  
हिस्सा व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 10490 हैव में से  
6388/8317 हिस्सा भूमि फुला उर्फ मन्मथ पुत्र सुखाराम के नाम से वर्तमान राजगण  
रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजगण रिकार्ड में उनके पूर्वज फुला उर्फ  
मन्मथ पुत्र सुखाराम के नाम से दर्ज है जिनका वैधानिक है मुका है जिनके जायज वारिसान  
उनके तीन पुत्रीया एव दो पुत्र भी जिनमें से माथी को छोड़कर सभी फोल हो चुके है जिसके  
वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 वा 18 है जो फुला उर्फ मन्मथ पुत्र सुखाराम के  
जायज वारिसान है जो फुला उर्फ मन्मथ पुत्र सुखाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक  
हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 वा 18 ने  
स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वा 14, 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि  
का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 वा 14, 17 ने स्वीकार  
किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं  
प्रतिवादी संख्या 15, 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजगण रिकार्ड में  
दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य  
सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साक्ष्य  
होने के कारण काबिल खित्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वा 14, 17 ने अपने हकों का त्याग  
किये जाने के कारण राजगणों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जाती  
न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 वा 18 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशेदार  
राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं  
न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साक्ष्य होने के कारण खित्री किया जाकर  
धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बाराणी के खाता संख्या 66/66 की कुल 6  
9170 हैव में से 2305/3457 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 67/67  
की कुल 10490 हैव में से 6388/8317 हिस्सा भूमि फुला उर्फ मन्मथ पुत्र सुखाराम के नाम  
से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15, 16 दोनों बहिद  
4/5 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 18 अकेली 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित  
किया जाता है इसी अनुसार राजगण रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के  
सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो  
तो बाद रहनमुक्त राजगण रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना  
वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा खित्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली  
नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीय तकगील जाब्दा दाखिल दफतर हो।

पर्चा खित्री आज दिनांक 26/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान  
में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड-अधिकारी (राजगण)  
नोहर (हनुमानगढ़)  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022  
कैम्प कोर्ट.....  
उपखण्ड अधिकारी  
नाहर

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022  
पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगतपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।।

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
2. सावित्री पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
3. मैना पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
4. कृष्णा पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
5. केसर पुत्री पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
6. भरतसिंह पुत्र पार्वती पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
7. महेन्द्रो देवी पुत्री रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
8. बिमला देवी पुत्री रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
9. मिन्दर पुत्री रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
10. ओमप्रकाश पुत्र रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
11. धर्मपाल पुत्र रामप्यारी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा
12. बिमला पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
13. रामी पुत्री इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
14. केलाश पुत्र इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
15. सतपाल पुत्र इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
16. रामपाल पुत्र इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
17. गोमती पत्नी भादरसिंह पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
18. नाथी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील सिरसा।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 328 सन 2012 निर्णय दिनांक- 26/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 66/66 की कुल 6.9170हैक् में से 2305/3457 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 67/67 की कुल 1.0490हैक् में से 6388/8317 हिस्सा भूमि फुला उर्फ मनफुल पुत्र सुखाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15, 16 तीनों बहिब 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 18 अकेली 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप ) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022

कैम्प कोर्ट-राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी

नोहर